न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 07/2022
रजि. संख्या : 2022/46

अप्रार्थी :–

अपीलार्थी :–

श्री दिनेश चन्द्र पिता श्री नाथूलाल, उचित मूल्य दुकानदार, नगर परिषद्, वार्ड नं. 30, बॉसवाडा

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री भगवत पुरी , श्री रवि पुरी – अभिभाषक (अपीलार्थी)

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 01–04–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा प्रकरण संख्या 178/2019

निर्णय

दिनांक :– 04–08–2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री दिनेश चन्द्र पिता श्री नाथूलाल, उचित मूल्य दुकानदार, नगर परिषद्, वार्ड नं. 30, बॉसवाडा के विरुद्ध दिनांक 29.05.2019 के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार "तु भी खुश मै भी खुश गेहूं केरोसीन के सौदे खुब"के सम्बन्ध में उचित मुल्य दुकान की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा दिनांक 29.05.2019 को की गई, रिपोर्ट अनुसार डीलर के विरूद्ध प्रकरण स 178/2019 दर्ज किया गया, अनियमितता पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 675/1994 निरस्त करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त करने के आदेश दिनांक 01.04.2022 व दिये गए है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, को सम्मन जारी किया गया।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि, अपीलार्थी डीलर द्वारा कालाबाजारी किये जाने संबंधी खबर समाचार पत्रो में प्रकाशित होने पर जाँच की गई। जॉच में उपभेक्ताओ से पुछताछ, दुकान एवं गौदाम का भौतिक सत्यापन करने पर भारी अनियमितताए होना पाया गया। गौदाम में 88.03 लीटर करोसीन कम पाया गया। अनियमितताओ के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 269 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। अपीलार्थी डीलर को दिनांक 10.06.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत हुआ। बाद सुनवाई प्रकरण में तथ्यो के आधार पर दिनांक 01.04.2022 को विधि संगत ढंग से निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपील अपीलांट खारीज करने निवेदन किया।

दिनांक 29–07–2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 08.06.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार दो माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 01.04.2022 जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

...तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम ...पर पहुँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा ...का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते ...के अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील पर प्रस्तुत बहस में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि, अपीलार्थी को ...नस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब देने के अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ...वाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विचारण के दौरान अपीलार्थी को नही सुना गया है तथा ...नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का भी सत्यापन नहीं हुआ है। अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को उसके सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया है। अपीलार्थी वर्ष 1994 से राशन डीलर का कार्य नियमानुसार कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा विगत 25 वर्षों से कोई अनियमितताऐं नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को बराबर समय पर नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सामग्री बराबर उठाई जाकर नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। अपीलार्थी के स्टॉक रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जा रहा है। अपीलार्थी के कार्य क्षेत्र में वार्ड संख्या 30 व 32 आते है। जिसमे बडी मात्रा में लोग रहते है। जिसमें से किसी भी उपभोक्ता ने कोई शिकायत अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज नहीं करायी है। प्रत्यर्थी द्वारा केवल मात्र में अखबार में प्रकाशित समाचार के आधार पर प्रश्नगत कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध अमल मे लायी गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। सम्पूर्ण शिकायत मनमानी व झुठी है। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट केवल अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने हेतु राजनैतिक दबाव में बनाई गई है। जिस पर भी अपीलार्थी को जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय पारित कर व उक्त स्थिति ... विधि एवं तथ्यों की गम्भीर भूल की है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो कमीयां ... गयी है वह ... है ... वितरक के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नहीं की है। साक्षीयों के बयान नहीं लिये गये
का कोई स्पष्टीकरण भी प्रत्यर्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांचकर्ता से नहीं मांगा
है। जिससे यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है और राशन
रण के अन्दर कोई गडबडीया नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट में गेहूं व शक्कर समूचित मात्रा में
ही पाया गया है। केरोसिन का 88.03 लीटर को खुर्द–बुर्द किये जाने का आरोप है परन्तु जांच
ताल में अपीलार्थी की दुकानों को निरीक्षण नही किया और केवल गोदाम को निरीक्षण कर जांच
रिपोर्ट बनायी है। अपीलार्थी द्वारा कोई राशन सामग्री खुर्द–बुर्द नहीं की गई है। प्रत्यर्थी विद्वान
अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शा मौका नहीं देखा गया और राजनैतिक प्रभाव की झुठी रिपोर्ट के
आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि, प्रत्यर्थी
विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजनेताओं की संतुष्टी के लिए अपीलार्थी के 25 वर्ष के
कार्यकाल को अनदेखा कर तथा उपभोक्तओं की भावनाओं के विपरित अपीलार्थी के विरूद्ध एक
पक्षीय कार्यवाही की गयी है। अपीलार्थी के रजिस्टर में इन्द्राज सही है। गेहूं, शक्कर, केरोसिन को
बराबर बांटा गया है। स्टॉक में शेष रहने वाली नियंत्रित सामग्री का वितरण भी प्रति युनिट
निर्धारित मात्रा के अनुसार किया गया है और वितरण का रिकार्ड में स्पष्ट अंकन है। गेहुं, शक्कर
व केरोसिन का बराबर वितरण किया गया है एवं उसमे कोई अनियमितताऐं नहीं रही है। अपीलार्थी
द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारण एवं नियंत्रित सामग्री का उठाव नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार
किया गया है। इस संबंध में कोई आरोप अपीलार्थी पर नहीं है। इसके अतिरिक्त केरोसिन एक
परिवर्तनशील (वोलेटाईल) पदार्थ है। जो शीर्घ वाष्पशील होता है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की
जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का निर्णय दिनांक 01.04.2022
को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 675/1994 को पुनः बहाल
किया जावे तथा प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– भी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने रेस्पोडेंट की ओर से बहस में कथन किया गया अपीलार्थी डीलर द्वारा कालाबाजारी किये जाने संबंधी खबर समाचार पत्रो में प्रकाशित होने पर की गई। जॉच में उपभेक्ताओ से पुछताछ, दुकान एवं गौदाम का भौतिक सत्यापन करने पर अनियमितताए होना पाया गया। गौदाम में 88.03 लिटर करोसीन कम पाया गया। अनियमितताओ के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 269 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। अपीलार्थी डीलर को दिनांक 10.06.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब दिनांक 08.07.2019 को प्रस्तुत हुआ। बाद सुनवाई प्रकरण में तथ्यो के आधार पर दिनांक 01.04.2022 को विधि संगत ढंग से निर्णय पारित कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। डीलर द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमिताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 01, 11, व 17 सी का उल्लंघन किया गया है। अतः अपील खारिज करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि काला बाजारी की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से प्राप्त होने पर बाद जांच में अनियमितताऐं करना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। गौदाम में 88.03 लीटर करोसीन कम पाया गया, जिसके सन्दर्भ में डीलर द्वारा सन्तोषप्रद प्रत्युत्तर पेश नही किया गया है। नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 01 11, व 17 सी का उल्लंघन होने से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

...य द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–04–2022 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक ...4–2022 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:05:21 IST
Reason: SelfAttested